# महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का कहर

**आईएमडी का रेड अलर्ट**

- **महाराष्ट्र में अगले 7 दिन भारी बारिश**
- **किसानों और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह**

8 की मौत; सोलापुर में सेना तैनात ▸ बाढ़ से गांवों का संपर्क टूटा, रोड-रेल सेवा बाधित

**मुंबई/नईदिल्ली/कोलकाता 24 सितंबर,** महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में पिछले चार दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. लातूर, बीड, धाराशिव, नांदेड़ और छत्रपति संभाजीनगर में कुल 8 लोगों की मौत हो चुकी है. मौत के कारणों में बिजली गिरना, डूबना और दीवार गिरने जैसी घटनाएं शामिल हैं. देश के कई हिस्सों में मानसून का अलग-अलग रूप देखने को मिल रहा है — महाराष्ट्र में बाढ़ और तबाही, पश्चिम बंगाल में करंट से मौतें और मध्यप्रदेश से मानसून की विदाई. सितंबर के आखिरी सप्ताह में जहां एक तरफ मौसम की मार ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है, वहीं प्रशासन और बचाव दल दिन-रात राहत कार्य में जुटे हैं. धाराशिव जिले में 159 गांव प्रभावित हुए हैं, और 186 मवेशी मारे गए हैं. वहीं, 766 घरों को नुकसान और 14.44 लाख हेक्टेयर फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं. एनडीआरएफ ने अब तक सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है. सोलापुर जिले की माढा तहसील में बाढ़ से हालात और बिगड़े हैं. सेना का हेलिकॉप्टर भेजकर 30 ग्रामीणों को बचाया गया. नदियों में पानी छोड़े जाने के कारण आस-पास के गांव जलमग्न हो गए हैं. सिना कोलेगांव, भोगावती और खासापुरी परियोजनाओं से भारी पानी छोड़ा गया है.

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी बारिश ने 39 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. 251.4 मिमी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में 2 से 3 फीट पानी भर गया. करंट लगने से 10 लोगों की जान चली गई, जिनमें 8 मौतें कोलकाता शहर में ही हुईं.

**दुर्गा पूजा से पहले आफत, कोलकाता जलमग्न**

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता इन दिनों मूसलधार बारिश की चपेट में है. सोमवार देर रात से शुरू हुई तेज बारिश ने शहर का जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है. दुर्गा पूजा की तैयारियों के बीच आई इस बारिश ने लोगों की मुसीबतें कई गुना बढ़ा दी हैं. कोलकाता में देर रात से हो रही भारी बारिश ने पूरे शहर को जैसे थाम कर रख दिया है. शहर के कई निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं. बारिश की वजह से मेट्रो, लोकल ट्रेन और बस सेवाओं में भारी दिक्कत आ रही है. ब्लू लाइन मेट्रो के महानायक उत्तम कुमार और रवींद्र सरोबर स्टेशन के बीच जलभराव इतना बढ़ गया कि वहां सेवाएं पूरी तरह बंद करनी पड़ीं.

# तूफान रागासा से ताइवान में 17 मौत

**नयी दिल्ली/हांगकांग, 24 सितंबर. शक्तिशाली तूफान, रागासा से ताइवान में 17 लोगों की मौत हो गयी है और 18 अन्य घायल हो हुये हैं.**

ताइवान में कहर बरपाने के बाद रागासा तूफान दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले तटों में से एक की ओर बढ़ रहा है जिसे देखते हुये अब तक दक्षिणी चीन में लगभग 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है. स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि रागासा के कारण लगभग 100 लोग अभी भी फंसे हुए हैं. इस वर्ष के सबसे शक्तिशाली तूफान रागासा ने बुधवार को वित्तीय केंद्र हांगकांग और दक्षिणी चीन के बड़े हिस्सों को ठप कर दिया. यह तूफान फिलीपींस के सुदूर द्वीपों और ताइवान के पहाड़ी क्षेत्रों से होकर गुजरा, जहां इसने भूस्खलन, बाढ़ और ऊंची लहरों के साथ भारी तबाही मचाई.

अब यह चीन के ग्वांगडोंग प्रांत की ओर बढ़ रहा है, जहां शेनझेन और ग्वांगझोउ जैसे विशाल शहर स्थित हैं. ताइवान में इसकी चपेट में आकर कम से कम 17 लोगों की मौत हो चुकी है और बुधवार दोपहर तक 18 अन्य लोग लापता हैं. यह तबाही एक प्राकृतिक झील के टूटने के बाद आयी जो भूस्खलन के मलबे से बनी थी और इसमें काफी मात्रा में पानी जमा था. इसके टूटने से लगभग सत्तर लाख टन पानी निचले क्षेत्रों में प्रवाहित हो गया जिसने पास के ग्वांगफू टाउनशिप में बाढ़ ला दी. हुलिएन काउंटी के इस पहाड़ी क्षेत्र में वीडियो में दिख रहा है जिसमें पानी की तेज धारा सड़कों पर बह रही है.


## मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(2) के साथ प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3(1) को पढ़ें। उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के साथ उक्त नियमों के नियम 3 को पढ़ें के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल एचएफएल) (जिसे पहले इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ता(ओं) से उनको जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशि को चुकाने के लिए कहा गया है। उपरोक्त के संबंध में, उधारकर्ता(ओं) को एक बार फिर से नोटिस दिया जाता है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर नीचे इंगित राशियों का भुगतान करें उधारकर्ता(ओं) का विवरण, डिमांड नोटिस की तिथि तक देय राशि और ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिए दी जाने वाली सुरक्षा निम्नानुसार है:-

| उधारकर्ता/गारंटर का नाम | मांग नोटिस दिनांक और राशि | सुरक्षित परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण |
|---|---|---|
| श्रीमती उषा चिल्हाटे, कोई अन्य कानूनी उत्तराधिकारी और/या कानूनी प्रतिनिधि, यदि कोई हो, (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10514417) | 18/08/2025, रु. 1,90,260/- (एक लाख नब्बे हजार दो सौ साठ मात्र) | संपत्ति का वह पूरा हिस्साः प्लॉट संख्या 213, प्रभु मिश्रा विहार, फेज II, गाँव-रणमल बिल्लोद, इंदौर, तहसील देपालपुर, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत-452001। क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः भूमि क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, क्षेत्रफलः 525.00, 420.00, 525.00। |
| श्रीमती अनीता, हैरी कलेक्शन, कोई भी अन्य कानूनी उत्तराधिकारी और/या कानूनी प्रतिनिधि, यदि कोई हो, (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10611656) | 18/08/2025, रु. 3,31,943/- (तीन लाख ईकत्तीस हजार नौ सौ तिरतालीस मात्र) | संपत्ति का पूरा हिस्साः 1143 और 1146, 07, कोचेता कॉलोनी, ट्रिनिटी स्कूल के पीछे, नीमच सिटी, मनासा रोड, नीमच, मध्य प्रदेश, भारत, 458441। क्षेत्रफल माप (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः भूमिक्षेत्र, कालीनक्षेत्र, निर्मितक्षेत्र, क्षेत्रफलः 652.00, 500.00, 652.00 |
| श्रीमती शिवकला, कोई अन्य कानूनी उत्तराधिकारी और/या कानूनी प्रतिनिधि, यदि कोई हो, (प्रॉस्पेक्ट नं. 906402) | 18/08/2025, रु. 2,91,223/- (दो लाख इन्क्यानवे हजार दो सौ तेईस मात्र) | संपत्ति का वह पूरा हिस्साः मकान संख्या 173, इदरीश नगर, मुशाखेड़ी, इंदौर, 452001, मध्य प्रदेश, भारत का उत्तरी भाग। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः भूमि क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफलः 400.00, 360.00, 400.00। |
| श्रीमती रेखा तिवारी, कोई अन्य कानूनी उत्तराधिकारी और/या कानूनी प्रतिनिधि, यदि कोई हो, (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10891225) | 18/08/2025, रु. 2,97,879/- (दो लाख सन्तानवे हजार आठ सौ उन्यासी मात्र) | संपत्ति का वह पूरा हिस्साः प्लॉट संख्या 478-ए, अरिहंत रेजीडेंसी, पीथमपुर सिटी होम्स, सेक्टर एग्राम, इंदौर, भाटखेड़ी तहसील महू, इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत-452001। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः कार्पेट एरिया, निर्मित एरिया, क्षेत्रफलः 280.00, 350.00 |

यदि उक्त उधारकर्ता आईआईएफएल एचएफएल को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो आईआईएफएल एचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के अंतर्गत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है, जिसका जोखिम, लागत और परिणाम पूरी तरह से उधारकर्ताओं के ही होंगे। अधिक जानकारी के लिए कृपया शाखा कार्यालयः 102/103, दर्शन मॉल, 15/2 रेसकोर्स रोड, इंदौर 452001, मध्य प्रदेश या कॉर्पोरेट कार्यालयः आईआईएफएल टावर, प्लॉट संख्या 98, उद्योग विहार, फेज-IV गुड़गांव, हरियाणा के प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।

स्थानः इन्दौर
दिनांकः 25.09.2025

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए


# जीएसटी कलेक्शन 22 लाख करोड़ पहुंचा

**लखनऊ, 24 सितंबर. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि घटे हुए जीएसटी रेट्स से आम उपभोक्ता, व्यापारी और उद्यमी सभी वर्गों को बड़ा लाभ मिल रहा है. इस रिफॉर्म ने जहां उपभोक्ताओं को राहत दी है, वहीं बाजार की मजबूती और रोजगार सृजन का मार्ग भी प्रशस्त किया है.**

योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को हजरतगंज स्थित यूनिवर्सल बुकसेलर के पास पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उपभोक्ताओं के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण जीएसटी रिफॉर्म का सबसे अधिक लाभ यूपी के व्यापारियों और ग्राहकों को होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए नोटबुक, पेंसिल और अन्य शैक्षणिक सामग्री पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है. इसी तरह ज्यादातर घरेलू उपयोग की आवश्यक सामग्रियों को जीरो या 5 प्रतिशत के दायरे में लाया गया है. जीवन रक्षक 33 प्रकार की दवाओं को भी पूरी तरह से जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है.

उन्होंने कहा कि बाजार में खपत बढ़ने से उत्पादन में वृद्धि हुई है.

इससे व्यापारी और उद्यमी दोनों को लाभ हुआ है और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुले हैं. त्योहारों के सीजन में यह बड़ा कदम उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य है और इस रिफॉर्म से यहां की अर्थव्यवस्था को विशेष मजबूती मिलेगी. सीएम ने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद देश का कलेक्शन 7 लाख करोड़ से बढ़कर 22 लाख करोड़ तक पहुंचा है, जबकि यूपी में यह 49 हजार करोड़ से बढ़कर 1.15 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है. इससे पहले मुख्यमंत्री ने हजरतगंज मार्केट में व्यापारियों और उपभोक्ताओं से मुलाकात की.

# महाराष्ट्र में सड़क मरम्मत पर नजर रखेगा एआई

**मुंबई. महाराष्ट्र सरकार सड़क के गड्ढों की मरम्मत की निगरानी और देखरेख का वास्तविक समय में पता लगाने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित मोबाइल ऐप का उपयोग पायलट आधार पर करेगी.**

यह ऐप नागरिकों को सड़क निर्माण की स्थिति की जानकारी हासिल करने में भी सक्षम बनाएगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी. लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्र सिंहराजे भोसले ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह पहल न केवल तत्काल मरम्मत की समस्या का समाधान करेगी, बल्कि उन्नत तकनीक के उपयोग से अधिक पारदर्शिता भी लाएगी. विशेषज्ञों अनुसार, एआई गड्ढों का पता लगाने और उनके प्रबंधन में सुविधा देगा.


## ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में ओएआईएस ऑटो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
(ओरिक्स ऑटो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)
पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट संख्या 94, मरोल को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 059 | दूरभाषः +91 22 2859 5093/6707 0100 | फैक्सः +91 22 2852 8549
ईमेलः info@orixindia.com | www.orixindia.com | CIN: U74900MH2006PLC163937

**(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना)**

निम्नलिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं ने ORIX लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए। नीचे उल्लिखित उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित हैं। चूँकि वे संबंधित ऋण समझौतों के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहे और अनियमित हो गए, इसलिए उनके ऋणों को RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार NPA के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ORIX लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को उनके द्वारा देय राशि, संबंधित नोटिस के अनुसार उल्लिखित है, विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशि पर ब्याज भी लागू होगा और संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार लिया जाएगा।

| स. क्र. | ऋण खाता संख्या | ऋण का प्रकार | उधारकताओं का नाम | 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया | सूचना दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ln0000000014848 | एसएमई सुरक्षित ऋण | 1. अशोक सोनी, 2. सुनील सोनी 3. ललिता देवी सोनी, 4. बबीता सोनी 5. संतोष सोनी | रू. 24,81,335.92/- | 23.09.2025 |
| सुरक्षित संपत्ति का विवरणः आवासीय मकान/फ्लैट संख्या जी-1 (जिसका निर्मित क्षेत्रफल 100 वर्ग फीट है), पंचरत्न मार्केट", पैकी ग्राउंड फ्लोर, और फ्लैट संख्या एलजी-1 (जिसका निर्मित क्षेत्रफल 80 वर्ग फीट है) का पूरा टुकड़ा और पार्सल, नगरपालिका भवन संख्या 5, पैकी पार्ट धान गली इंदौर, मध्य प्रदेश (जिसका निर्मित क्षेत्रफल 180 वर्ग फीट है) में स्थित बेसमेंट फ्लोर है और उक्त संपत्ति निम्नलिखित से घिरी हुई हैः दक्षिणः श्री अग्रवाल का मकान, उत्तरः सामान्य मार्ग, पूर्वः श्री अग्रवाल का मकान, पश्चिमः सरकारी सड़क। | | | | | |

आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार, संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर और अन्य लागतों, प्रभारों आदि सहित, इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर ORIX लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को देय राशि का भुगतान करें। ऐसा न करने पर, अधोहस्ताक्षरी को डफ्कलीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को देय राशि वसूलने हेतु, ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध SARFAESI अधिनियम की धारा 13(4) और धारा 14 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत उक्त सुरक्षित संपत्ति को बिक्री/पट्टे या अन्यथा किसी भी प्रकार से हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

दिनांकः 23.09.2025
स्थानः इंदौर

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड


# कांग्रेस को बिहार की 85 साल बाद क्यों याद आ गयी : रविशंकर प्रसाद

**नयी दिल्ली, 24 सितंबर. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को पटना में कांग्रेस कार्य समिति की 85 साल बाद हो रही बैठक पर प्रतिक्रिया करते हुये कहा कि बैठक पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है.**

रविशंकर ने यहां पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से कहा कि पटना में कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है जो कई तरह के सवाल पैदा कर रही है. इससे पहले जब राज्य में लालू यादव का जंगलराज था तब क्यों बैठक नहीं की, अब कांग्रेस को अचानक बिहार की 85 साल बाद क्यों याद आ गयी. रविशंकर ने कहा कि देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति नहीं बनने देना चाहते थे. इतना ही नहीं राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के बाद नेहरू सरकार ने उनका ख्याल नहीं रखा. बिहार कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में प्रसाद दयनीय हालत में रहे जिसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है.


## केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम / A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

प्रधान कार्यालय : 112, जे.सी. रोड़, बैंगलूर - 562002
क्षेत्रीय कार्यालय: ओमेगा टॉवर, तीसरी मंजिल, 32 मैकेनिक नगर, भमोरी, इंदौर फोन: 0731-2573816

**कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)**

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने **केनरा बैंक, इंदौर** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुननिर्माण तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन **अधिनियम** 2002 की धारा के अंतर्गत, सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) **अधिनियम 2002 का अधिनियम संख्यांक 54** के साथ पठित, **सेक्शन 13 (12) नियम 3** के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधोलिखित खाते के सामने दर्शाई गई तारीख को नोटिस जारी कर ऋणियों को नोटिस की तारीख/ नोटिस प्राप्ति को तारीख से **60 दिन** के अंदर उक्त खाते के सामने दर्शाई गई राशि अदा करने के लिए कहा था। ऋणी उक्त राशि चुकाने में असफल रहा है अत: ऋणियों तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट के सेक्शन **13 (4)** उक्त एक्ट के साथ पठित उक्त रूल्स के नियम **9** के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अधोलिखित संपत्ति का कब्जा उक्त खाते के सामने दर्शाई गई तारीख को ले लिया है। एतद् द्वारा ऋणियों को विशेष एवं जनसाधारण को सामान्य रूप से सचेत किया जाता है कि उक्त संपत्ति विषयक कोई संव्यवहार न करें ऐसा कोई भी संव्यवहार वसूल की जाने वाली उल्लेखित राशि एवं उस पर देय ब्याज एवं अन्य खर्चो हेतु **केनरा बैंक, इंदौर** के प्रभार के अधीन रहेगा।

| क्रं. | शाखा का नाम एवं मोबाईल नं. | ऋणी/जमानतदार/ बंधककर्ता का नाम | बंधक संपत्ति का विवरण | मांग नोटिस की बकाया राशि (₹) | मांग नोटिस की दिनांक / कब्जा लेने/चस्पा करने की दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एमजी रोड शाखा, इन्दौर 7049919105 | मेसर्स रुद्राक्ष ट्रेडिंग कंपनी, प्रो.: अभिमन्यु अग्रवाल (ऋणी) | दुकान/फ्लेट नं. 205, दूसरी मंजिल, विशाल ट्रिनिटी, प्लाट नं. 24 पर स्थित भवन, पैकी (पूर्वी भाग), 24-बी, स्कीम नं. 31, सपना संगीता मेन रोड, इन्दौर (म.प्र.) 452001 **क्षेत्रफल: 480 वर्गफीट (बिल्टअप), सीमाएं: उत्तर:** भवन का एमओएस, **दक्षिण:** फ्लेट नं. 203, **पूर्व:** सिढ़ी एवं लॉबी, **पश्चिम:** अन्य संपत्ति | 71,27,314.78 + दिनांक 07.07.2025 से देय ब्याज एवं अन्य खर्चें | 11.07.2025 / 24.09.2025 |

स्थान : इन्दौर, दिनांक : 25.09.2025

प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक


# रोहिंग्या विद्रोहियों को भड़का रहे अधिकारी

**नयी दिल्ली, 24 सितंबर.** अराकान आर्मी (एए) के कमांडर-इन-चीफ मेजर जनरल तुन म्यात नाइंग ने बांग्लादेश सीमा सुरक्षा बल के कुछ अधिकारियों पर रोहिंग्या विद्रोही समूहों, अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (एआरएसए) और रोहिंग्या सॉलिडैरिटी ऑर्गनाइजेशन (आरएसओ), को एए के ठिकानों पर हमले के लिए उकसाने का गंभीर आरोप लगाया है. मेजर जनरल ने एक विशेष साक्षात्कार में खुलासा किया कि 18 सितंबर की रात उत्तरी रखाइन राज्य के माउंगडॉ टाउनशिप में एए के बेस पर एआरएसए और आरएसओ के लड़ाकों ने समन्वित हमला किया. उन्होंने दावा किया, बांग्लादेशी सैन्य अधिकारियों ने सीमा पार से इन उग्रवादी समूहों को समर्थन दिया और उन्हें हमारे ठिकानों पर हमला करने का निर्देश दिया. उन्होंने आगे कहा, पहले मध्यस्थों के माध्यम से संपर्क होता था, लेकिन अब हमारे पास बांग्लादेशी अधिकारियों और उग्रवादी नेताओं के बीच सीधे समन्वय की पुख्ता खुफिया जानकारी है.

मेजर जनरल के अनुसार, बांग्लादेशी अधिकारियों ने उग्रवादियों को ताउंगप्यो के पास या उसके उत्तर में एए के ठिकानों पर हमला करने का आदेश दिया, और उन्हें उपलब्ध किसी भी हथियार का उपयोग करने को कहा. यंगून स्थित बांग्लादेशी दूतावास ने इन आरोपों पर मंगलवार तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. एए ने बुथिदाउंग और माउंगडॉ सहित रखाइन राज्य के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया है,


## NAME CHANGE

I **ARPIT JHAWAR** Here By declare that I have change My name as **ARPIT KUMAR JHAWAR** so from now in future I will be known by my new name **ARPIT KUMAR JHAWAR** for all future purposes.
Address-
S/O OMPRAKASH JHAWAR
MAHESH NAGAR GRAM
BAGH, DISTRICT DHAR
MP-454221



## आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

**कार्पोरेट कार्यालय :** युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.
**शुजालपुर शाखा:** म.नं. 17, वार्ड नंबर 15, पंजाबी मोहल्ला, दिगंबर जैन मंदिर रोड, शुजालपुर मंडी, जिला शुजालपुर-465333(म.प्र.)
**खंडवा शाखा:** प्लॉट नंबर - 1, श्री नगर कॉलोनी, इंदौर रोड, खंडवा - 450001 (मध्य प्रदेश)

**आधिपत्य सूचना** परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के 60 दिवस में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

| क्रं. | ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता(ओ) (शाखा का नाम) | धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति) | मांग सूचना का दिनांक एवं राशि | आधिपत्य का दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (लोन कोड नं. 09110000092/ शुजालपुर शाखा) हेमराज वर्मा (ऋणी), रामकन्या वर्मा (सह-ऋणी) | संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, तल मंजिल, कृषि मण्डी के पीछे की तरफ, वार्ड नं. 06, पानखेड़ी तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म. प्र. 465337 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- आम रास्ता, पश्चिम- गजराज की भूमि, उत्तर - विक्रेता की भूमि, दक्षिण - विक्रेता की भूमि | 10-07-2024 एवं ₹ 4,34,760/- | 23-09-2025 |
| 2 | (लोन कोड नं. 05510000190/ खण्डवा शाखा) शकील इब्राहीम (ऋणी), समिम बाई एवं युनूस शकील (सह-ऋणी) | संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, तल मंजिल मदिना नगर नागचुन रोड़, हजरत खानशावली, वार्ड नं. 36, प्लाट नं. 03, (कॉलोनी लेआउट के अनुसार प्लाट नं. 02 का भाग), खण्डवा पूर्वी निमाड़, मध्य प्रदेश 450001, **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व - वहीदा बी पति इब्राहीम खान का मकान, पश्चिम - जावेद अहमद का मकान, उत्तर - कॉलोनी प्लॉट नं. 9, दक्षिण - रोड़ | 11-08-2025 एवं ₹ 8,38,389/- | 20-09-2025 |

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 25-09-2025

प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड



## M.P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

REGIONAL OFFICE, INDORE
(Government of Madhya Pradesh Undertaking), (Formerly M.P. Audyogik Kendra Vikas Nigam (I) Ltd.), CIN : U51102MP1977SGC001392
101, First Floor, Atulya IT Park, Near Crystal IT Park, Khandwa Road, Indore- 452001
Phone : (O) 0731-2970611, 2974363, 2971311 Fax No. : 0731-2972629
Website : invest.mp.gov.in, E-mail : ed.roind@mpidc.co.in

No. MPIDC/ROIND/TECH/25-26/12475 DATE : 24.09.2025

**NOTICE INVITING TENDER**

Online bids for the following work are invited from Contractors and Firms of Repute fulfilling registration and eligibility criteria. Tender for the following work has been processed on the e-procurement system **http://mptenders.gov.in :**

| Name of Work | Probable Amount of Contract (P.A.C.) (in Rs.) | Cost of Tender Form (Non-Refundable) (in Rs.) | Earnest Money Deposit (EMD in Rs.) | Time Period (i/c rainy season) | Last Date of Bid Sub-mission |
|---|---|---|---|---|---|
| **A.** Operation and Maintenance of Common Effluent Treatment Plant (CETP) at I/A Meghnagar, Dist. Jhabua for 12 months – 2nd Call. | 62.40 Lacs | 11,800/- | 62,400/- | 12 Months | 09.10.2025 |
| **B.** Construction of Fire Station Building at Industrial Park Jetapur; Industrial Park Pithampur Sector 1 and Industrial Park Sector 7 Betma, Dist. Dhar – 2nd Call. | 422.17 Lacs | 17,700/- | 4,22,170/- | 06 Months | 09.10.2025 |

Detailed NIT and other details can be viewed on the above mentioned portal. The Corrigendum, if any shall not be published in the newspaper, it will be uploaded on the e-procurement system.

M.P. Madhyam/122254/2025 **EXECUTIVE ENGINEER**



## पेगासस एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

PEGASUS
कॉर्पोरेट कार्यालयः 55-56, पाँचवीं मंजिल, फ्री प्रेस हाउस, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021।
पंजीकृत कार्यालयः 507, दातामल हाउस, जमनालाल बजाज रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021।

**ई-नीलामी द्वारा बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना**

**वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित**

एतद्वारा आम जनता को, विशेष रूप से नीचे उल्लिखित ऋणी(कों)/सह-ऋणी(कों)/गारंटर(कों) और बंधककर्ता(कों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित सुरक्षित संपत्तियाँ, सुरक्षित ऋणदाता, पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, जो पेगासस 2023 ट्रस्ट 10 (पेगासस) के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत है, के पास बंधक/प्रभारित अचल संपत्ति हैं। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ("जन बैंक") द्वारा SARFAESI के प्रावधानों के तहत दिनांक 28.03.2024 के असाइनमेंट समझौते के माध्यम से नीचे उल्लिखित ऋणी के ऋणों को अंतर्निहित प्रतिभूति हित सहित सौंप दिया गया है। अधिनियम, 2002 के अंतर्गत, SARFAESI अधिनियम और उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के तहत "जहाँ है जैसा है", "जो है जैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर सभी ज्ञात और अज्ञात देनदारियों के साथ 15.10.2025 को बेचा जा रहा है।
पेगासस के प्राधिकृत अधिकारी ने SARFAESI अधिनियम और उसके अंतर्गत नियमों के प्रावधानों के तहत 25.03.2025 को अचल संपत्ति के रूप में नीचे वर्णित सुरक्षित संपत्तियों का भौतिक कब्जा ले लिया है।
नीलामी का विवरण इस प्रकार है:

| | |
|---|---|
| **ऋणी(कों), सह-ऋणी(कों) और गारंटर(कों) तथा बंधककर्ता(कों) का नामः** | **क) श्री मनीष पंवार, पुत्र हीरालाल पंवार (उधारकर्ता/बंधककर्ता) ख) श्रीमती शालिनी पंवार, पत्नी मनीष पंवार (सह-उधारकर्ता)** |
| **बकाया देय राशि जिसके लिए सुरक्षित संपत्ति बेची जा रही है:** | 22/01/2024 तक बकाया रू. 19,78,970.25 (रुपये उन्नीस लाख अठ्ठहत्तर हजार नौ सौ सत्तर व पच्चीस पैसे मात्र) अनुबंध दर पर अतिरिक्त ब्याज और उस पर लगने वाली लागत, शुल्क और व्यय सहित। 23/01/2024 से SARFAESI अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना के अनुसार भुगतान एवं वसूली की तिथि तक 23/09/2025 तक रू. 24,64,988.25 (चौबीस लाख चौसठ हजार नौ सौ अठ्ठासी और पच्चीस पैसे मात्र) तथा संविदात्मक दर पर ब्याज, उस पर 24/09/2025 से भुगतान एवं वसूली की तिथि तक लागत, प्रभार एवं व्यय। |
| **बेची जा रही सुरक्षित संपत्ति का विवरणः अचल संपत्ति** | बंधकः श्री मनीष पंवार, पुत्र हीरालाल पंवारः प्लॉट संख्या 153, क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट (92.93 वर्ग मीटर) वाला वह समस्त भूखंड, जिस पर निर्माण कार्य चल रहा है, नोवा क्लासिक कॉलोनी, ग्राम बोरखेड़ी, पी.एच. ग्राम पंचायत बोरखेड़ी, तहसील महू एवं जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) की सीमा के अंतर्गत, क्रमांक 24। पूर्व में कॉलोनी रोड, पश्चिम में कॉलोनी की चारदीवारी, उत्तर में प्लॉट क्रमांक 154 और दक्षिण में प्लॉट क्रमांक 152 से घिरा हुआ। |
| **ऋण खाता संख्या** | 30369610000033 |
| **CERSAI शुल्क** | CERSAI SI ID: 400061233305; संपत्ति ID: 200061883697 |
| **आरक्षित मूल्य जिसके नीचे सुरक्षित संपत्ति नहीं बेची जाएगी (रु. में):** | रू. 21,68,000/- (केवल इक्कीस लाख अड़सठ हजार रुपये) |
| **बयाना राशि जमा (EMD):** | रू. 2,16,800/- (केवल दो लाख सोलह हजार आठ सौ रुपये) |
| **संपत्ति के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए दावे, यदि कोई हों, और सुरक्षित ऋणदाता को ज्ञात कोई अन्य देय राशि और मूल्य** | ज्ञात नहीं |
| **संपत्तियों का निरीक्षणः** | 06.10.2025 को प्रातः 11.30 बजे से अपराह्न 01.30 बजे तक |
| **संपर्क व्यक्ति और फोन नंबरः** | श्री प्रमोद जाधव - वरिष्ठ प्रबंधक - 9923680690 (प्राधिकृत अधिकारी) श्री नीलेश मोरे - वरिष्ठ प्रबंधक - 9004722468 |
| **बोली जमा करने की अंतिम तिथिः** | 14.10.2025 शाम 4:00 बजे तक |
| **बोली खोलने का समय और स्थानः** | वेबसाइट (www.foreclosureindia.com) (https://bankauctions.in) के माध्यम से 15.10.2025 को दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक ई-नीलामी/बोली। |

यह प्रकाशन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत उपर्युक्त उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) को पंद्रह (15) दिनों का नोटिस भी है।
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट http://www.pegasus-arc.com/assets-to-auction.html या वेबसाइट (www.foreclosureindia.com) (https://bankauctions.in) देखें या सेवा प्रदाता मेसर्स 4 क्लोजर से संपर्क करें। कोई भी बोली जमा करने से पहले श्री विकास केटेले, संपर्क संख्याः 8712637550, ईमेल आईडीः info@bankauctions.in/vikas@bankauctions.in से संपर्क करें।

स्थानः इंदौर
दिनांकः 25.09.2025

एसडी/- (प्रमोद जाधव) प्राधिकृत अधिकारी,
पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, पेगासस 2023 ट्रस्ट 10 के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत।